न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सामोद)

मु.न. 261/2015

उनवान

1. शिवराम पुत्र श्री मुन्नाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

बनाम

1. कैलाशचन्द पुत्र स्व0 श्री गुमान यादव
2. महेश पुत्र स्व. श्री गुमान यादव
3. मालीराम पुत्र स्व. श्री गुमान यादव
   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 25.05.2018

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत सामोद मे पेश हुई। वादी ने अपने वाद में निवेदन किया है कि वाके ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में हाल खाता संख्या 519 में वर्णित खसरा नम्बर 1142/2 रकबा 0.55 हैकटैयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.55 हैक्टेयर स्थित है, जिसकी सम्पूर्ण की खातेदारी वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के पश्चिम दिशा में लगवा सींवजोड खसरा नम्बर 1307 , 1145 स्थित है जिनके मध्य की सीमा इस वाद पत्र में विवादग्रस्त है जिसे की वाद पत्र के अग्रिम मदों में विवादग्रस्त सम्पत्ति के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है।

यह कि वाद पत्र में वर्णित विवादग्रस्त सम्पत्ति भूमि खसरा नम्बर 1142/2 की पश्चिमी सीमा की भूमि मन्दिर श्री रघुनाथ जी की भूमि है जिसके खसरा नम्बर 1307 , 1145 में अवैध रूप से मन्दिर माफी की भूमि पर अवैध कब्जा कर कॉलोनी विकसित कर मन्दिर माफी की भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित की जा रही है तथा वादी की भूमि खसरा नम्बर 1142/2 की पश्चिम सीमा पर पूर्वजों से मिट्टी की डोल बनी हुई है तथा उस पर पोल गाडकर तारबन्दी की हुई है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित विवादित सम्पत्ति खसरा नम्बर 1142/2 की पश्चिमी सीमा के कब्जे एवं स्वामित्व से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 वादी की पडौसी भूमि जो कि मन्दिर माफी की भूमि है, के पडौसी अतिक्रमी है जिनका उक्त मन्दिर माफी की भूमि से कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 वादी की भूमि की सीमाओं को काटकर खुर्द बुर्द कर देना चाहते है। जिस कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 आये दिन बिना वजह वैमनस्य के कारण विवादग्रस्त भूमि को हडप करने व उस पर जबरिया नाजायज कब्जा करने के उद्देश्य से सींव डोल में तोड फोड करते रहते है तथा विवादग्रस्त भूमि के वादी द्वारा किये जो रहे शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित करते रहते है जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार नहीं है। इसी उद्देश्य से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा अन्य असामाजिक तत्वों व भूमाफियों की मदद से दिनां 20.11.2015 को विवादग्रस्त सम्पत्ति पर आकर वादी के कब्जे एवं स्वामित्व की विवादित भूमि के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित किया गया तथा जबरिया वादी

उप खण्ड अधिकारी
चौमूं जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner

को विवादित सम्पत्ति की पश्चिमी सीमा पर बनी कच्ची मिट्टी की डोल को तोडकर वादी को बेदखल कर कब्जा करने का प्रयत्न किया गया तथा विवादित सम्पत्ति पर जबरिया निर्माण सामग्री एकत्रित कर कब्जा करने का प्रयत्न करने लगे एवं वादी की तारबन्दी हेतु लगाये गये पिल्लरों को तोड दिया, जिसका विरोध वादी द्वारा किये जाने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा वादी को एहलानियां धमकी दी गई कि वह शीघ्र ही विवादित भूमि पर जबरिया कब्जा कर वादी को बेदखल कर देंगे तथा वादी को विवादग्रस्त भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग नहीं करने देंगे जिसमें यदि वादी ने कोई आपत्ति की तो इसका परिणाम अच्छा नही होगा, जिस कारण वादी द्वारा वाद पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित विवादित सम्पत्ति के वादी द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नहीं करें, ना हीं विवादित सम्पत्ति पर बनी सींवडोल में तोडफोड करे, ना हीं पिल्लरों को तोडे, ना ही उसे खुर्द बुर्द करें, ना हीं विवादित सम्पत्ति पर जबरिया कब्जा कर वादी को बेदखल करें, ना हीं कोई पुख्ता या खाम निर्माण कार्य करें, ना हीं वादी के उपयोग उपभोग में कोई दखलन्दाजी कारित करें, अर्थात् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 विवादग्रस्त सम्पत्ति व सीमाओं की यथावत स्थिति बनाये रखें उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ना तो स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवायें।

वादी के वाद पत्र पेश करने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। वादी आराजी का खातेदार काश्तकार है। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकलन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादी विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभेग के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1142/2 रकबा 0.55 हैकटैयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.55 हैक्टेयर वाके ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का दोनो पक्षों की मौजूदगी में सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार चौमूं को निर्देश दिये जाते हैं साथ ही वादी एवं प्रतिवादी अपने अपने हिस्से पर कायम रहने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जाता है कि विवादित सम्पत्ति के वादी द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नहीं करें, ना हीं विवादित सम्पत्ति पर बनी सींवडोल में तोडफोड करे, ना हीं पिल्लरों को तोडे, ना ही उसे खुर्द बुर्द करें, ना हीं विवादित सम्पत्ति पर जबरिया कब्जा कर वादी को बेदखल करें, ना हीं कोई पुख्ता या खाम निर्माण कार्य करें, ना हीं वादी के उपयोग उपभोग में कोई दखलन्दाजी कारित करें, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 विवादग्रस्त सम्पत्ति की यथावत स्थिति बनाये रखें उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ना तो स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवायें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट सामोद में सुनाया गया।

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सामोद)

पीठासीन अधिकारी :– प्रियव्रत सिंह चारण (R.A.S)

मुकदमा नम्बर :– 261/2015

उनवान

1. शिवराम पुत्र श्री मुन्नाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

बनाम

1. कैलाशचन्द पुत्र स्व0 श्री गुमान यादव
2. महेश पुत्र स्व. श्री गुमान यादव
3. मालीराम पुत्र स्व. श्री गुमान यादव
   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है की वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1142/2 रकबा 0.55 हैकटैयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.55 हैक्टेयर वाके ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का दोनो पक्षों की मौजूदगी में सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार चौमूं को निर्देश दिये जाते हैं साथ ही वादी एवं प्रतिवादी अपने अपने हिस्से पर कायम रहने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जाता है कि विवादित सम्पत्ति के वादी द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नहीं करें, ना हीं विवादित सम्पत्ति पर बनी सींवडोल में तोडफोड करे, ना हीं पिल्लरों को तोडे, ना ही उसे खुर्द बुर्द करें, ना हीं विवादित सम्पत्ति पर जबरिया कब्जा कर वादी को बेदखल करें, ना हीं कोई पुख्ता या खाम निर्माण कार्य करें, ना हीं वादी के उपयोग उपभोग में कोई दखलन्दाजी कारित करें, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 विवादग्रस्त सम्पत्ति की यथावत स्थिति बनाये रखें उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ना तो स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवायें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सामोद मे आज तारीख 25.05.2018 को जारी किया गया।

मोहर

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उप खण्ड अधिकारी
चौमूं जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner

उपखण्ड अधिकारी
चौमू (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	1	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner